

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी
शुक्रवार, 20 सितम्बर, 1996 / भाद्रपद, 29, 1918 शक

संख्या : 286

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित अतिरिक्त
उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली से दिनांक 18.9.96 को
निम्नलिखित सूचना दिनांक 19.9.96 को प्राप्त हुई :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र को विधान सभा के
माननीय सदस्य सर्वश्री मुरारी सिंह पवार, राम पाल,
चौद राम, धर्म देव सोलंकी, नरेश गौड़, मेवा राम आर्य,
जोत राम सोलंकी, सत प्रकाश राणा और जगदीश लाल बत्रा,
को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् दिनांक : 18.9.96
को अपराहन 1.12 बजे, तीन मूर्ति मार्ग, चाणाक्ष्य पुरी,
नई दिल्ली से पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के
अन्तर्गत नज़रबंद किया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक : 18.9.96 को अपराहन 1.15 बजे
रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, September 20, 1996/Bhadrapud 29, 1918 (Saka)

No. 286

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 18.9.96 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from Addl. Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi on 19.9.96 :-

"I have the honour to inform you that S/Shri Murari Singh Panwar, Ram Pal, Chand Ram, Dharam Deo Solanki, Naresh Gaur, Mewa Ram Arya, Jeet Ram Solanki, Sat Prakash Rana and Jagdish Lal Batra, Hon'ble Members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Teen Murti Marg, Chanakya Puri, New Delhi at 1312 hours today i.e. 18.9.96.

They were released at 1315 hours from same place, the same day i.e. 18.9.96."

P.N. GUPTA
SECRETARY